

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1299]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2015/आषाढ़ 1, 193**7**

No. 1299]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2015/ ASADHA 1, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2015

का.आ. 1658(अ).—निम्निलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अविध की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सिचव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

करनाला पक्षी अभयारण्य, (जिसे इसके बाद अभयारण्य कहा गया है) महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में 73° 5' से 73° 9' पू. देशांतर रेखांश और 18° 51' 30" से 18° 54' 3. अक्षांश के बीच स्थित है और 12.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है ;

और, अभयारण्य वुडलैंड पिक्षियों की प्रचुर किस्मों, जिसके अंतर्गत दुर्लभ पिक्षी जाति सिम्मिलित है और लगभग 147 निवासी पिक्षी जाति है और 37 प्रवासी पिक्षी जाति, जिसके अंतर्गत धूसर सहेली और चित्तीदार छाती वाला कठफोड़वा भी सिम्मिलित है, को संश्रय देता है ;

और, उक्त पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के रूप में करनाला वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र के चारो ओर के क्षेत्र को, जो इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट विस्तार और सीमाओं के क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में उद्योगों के प्रचालन या प्रसंस्करण या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में करनाला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से शून्य से 8 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को करनाला वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है, अर्थात् :-

- 1. पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 30.57 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में करनाला वन्यजीव अभ्यारण की सीमा से शून्य से 8 किलोमीटर तक विस्तारित होगा और ऐसे जोन की सीमाओं का वर्णन उपाबंध-I में दिया गया है।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के उरान और पनवेल तालुक के 18 ग्रामों तक विस्तृत है ।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांको के साथ **उपाबंध-II** के रूप में संलग्न है ।
 - (4) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र उपाबंध-III के रूप में संलग्न है ।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अविध के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति। में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा आचंलिक महायोजना तैयार होगी।
- (2) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण:
 - (ii) वन:
 - (iii) नगर विकास:
 - (iv) पर्यटन;
 - (v) नगरपालिक:
 - (vi) राजस्व:
 - (vii) कृषि;
 - (viii) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:
 - (ix) सिंचाई; और
 - (x) लोक निर्माण विभाग ।
- (3) आचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।
- (4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

- (5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करेगी ।
- 3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.--**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--
- (1) **भू-उपयोग**.--पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, उद्यान और खुले स्थानों आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्घ विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम संख्यांक 10, 16, 22, 28 और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पर्यावरण हितैषी पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अभिभोग के लिए पर्यावरण हितैषी कुटीर जैसे तम्बू काष्ठ के घर;
- (ii) विद्यमान सइकों को चौड़ा और मजबूत बनाना;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय; और
- (v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख सुविधा भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनुप्रयुक्त या अनउत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) प्राकृतिक स्रोतों.-आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सिम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।

- (3) **पर्यटन.**—(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।
- (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार मारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;
- (ii) पर्यावरण हितैषी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास सुविधा के सिवाए करनाला वन्यजीव अमयारण्य की सीमाओं के एक किलोमीटर के भीतर होटल और सैरगाहों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे :

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, पर्यटन महायोजना के अनुसार पर्यावरण पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व पर निश्चित और अभिहित क्षेत्रों में नए होटलों और सेरगाहों के स्थापन की अनुमित दी जाएगी।

- (iii) आंचितिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को व्रास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।
- (4) नैसर्गिक विरासत.--पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरिक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।
- (5) मानव निर्मित विरासत स्थलों.-पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) ध्विन प्रदूषण.--पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) वायु प्रदूषण.--पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।
- (8) **बिहसाव का निस्सारण**.--पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बिहसाव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।
- (9) ठोस अपशिष्ट.--ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख

- 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।
- (10) जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ), तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) **यानीय परिवहन.**--परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(12) औद्योगिक इकाइयां --

- (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर काष्ठ पर आधारित नए उद्योगों सिवाय विधि के अनुसार स्थापित काष्ठ पर आधारित विद्यमान उद्योगों का स्थापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले नए उद्योगों का स्थापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची.—पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध	क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिन्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोइने की इकाइया ।	(क) नए खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनक् तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की मकानों वे सिन्नर्माण या मरम्मत और व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकान हेतु कंट्र टाइल्स और ईंटों के विनिर्माण के लिए भूमि को खोदने के संबंध में घरेत आवश्यकताओं के सिवाय तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगे; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 क 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।

		PART II—SEC. 3(II)
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुजात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना का स्थापन ।	लाग् विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थी का उपयोग या उत्पादन ।	लाग् विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अप्शिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायु यान, गर्म वायु गुबारों त्वारा अभ्यारण क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ पर आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों का स्थापन अनुजात नहीं होगा :
		परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार चालू रह सकेंगे।
विनियभि	त क्रियाकलापः :	
(10)	होटलों और सैरगाहों का स्थापन ।	पर्यावरण हितैषी पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों के अस्थायी अभिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं से एक किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यिक होटल और सैरगाह अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुरूपता में होगा।
(11)	सन्निर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी :
an		परंतु स्थानीय लोगों को निवासीय उपयोग, जिसके अंतर्गत पैरा (3) के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी है, के लिए सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
		(ख) ऐसे लघु उद्योग, जो प्रदूषण कारित नहीं करते हैं, से संबंधित सिन्नर्माण क्रियाकलापों को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किया जाएगा और न्यूनतम रखा जाएगा।
		(ग) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक वास्तविक स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं के लिए सन्निर्माण अनुजात होगा और अन्य वाणिज्यिक सन्निर्माण क्रियाकलाप जोनल
12)	वृक्षों की कटाई ।	महायोजना के अनुसार विनियमित किए जाएंगे ।

	A STOCKET	
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केद्रीय या राज्य अधिनियम या उर अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
		(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्यकरण योज निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा ।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्ग भू-जल संचयन भी है।	त (क) भूमि के अधिभोगी के केवल वास्तविक कृषि उपयोग और घरे खपत के लिए सतही जल और भूमिगत जल का निष्कर्षण अनुज होगा।
		(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत ज के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण की पूर्व लिखि अनुज्ञा अपेक्षित होगी, जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्ष करेगा, भी है।
		(ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुजात नहीं होगा ।
		(घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे !
(14)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) 33 के.वी. से ऊपर की पारेषण लाईन और वितरण लाईन का बिछार जाना ।
7121		(ii) भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(15)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लाग अनुसार होंगे ।
(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(20)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्चाव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्साव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
21)	वाणिन्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22)		पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्पकृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित उद्योग, जो देशी माल से उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव कारित नहीं करते, अनुजात होंगे।
23)	7 4 4	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25)	7777	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26)	कृषि प्रणाली में प्रबल परिवर्तन ।	त्राग् विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

संविधित	त क्रियाकलाप:	
(27)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	
(28)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(29)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(30)	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(31)	कुटीर उद्योग, जिनके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं, आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(32)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाए ।

- 5. **मानीटरी समिति -** (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-
 - (क) 🔑 कलेक्टर, जिला रायगढ़ अध्यक्ष ;
 - (ख) जिला परिषद् रायगढ़ का प्रतिनिधि सदस्य ;
 - (ग) राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य ;
 - (घ) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अविध के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
 - (ङ) प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अविध के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के किसी प्रतिश्ठित संस्थान अथवा विश्वविद्यालय का नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ - सदस्य ;
 - (च) प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य ;
 - (छ) ज्येष्ठ नगर नियोजक, रायगढ़ सदस्य ;
 - (ज) उप वन्य संरक्षक अलीबाग प्रभाग सदस्य-सचिव ।

निर्देश का निबंधन

- (2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।
- (3) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अंतर्गत आने वाले और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले क्रियाकलापों, सिवाय इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं,

ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्घ विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

- (5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उद्यान उप वन संरक्षक, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्घ विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) मानीटरी समिति, प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन को अपनी वा**र्षिक** कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध-IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।
- 7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/48/2014-ईएसजेड-आरई] डॉ. जी. वी. सुब्रहमण्यम, वैज्ञानिक 'जी'

<u>उपाबंध ।</u>

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन

उत्तर:-

ग्राम मनघर माल्की- क्रम सं. 25

ग्राम मोसारे माल्की— क्रम सं. 90,86,79,92,87,75,73,72 और 71

ग्राम पटनोली माल्की— क्रम सं. 5,4,3,15,11,10,25,

ग्राम नानोशी माल्की— क्रम सं. 6,95,93,88,87,84,73,81,78,75,62,67,64,48,69,41,40,38,37,44,45,46

नाला माल्की- क्रम सं. 17,22,21,23,26,24 और 8

चीरवत ग्राम की सीमा

ग्राम संगोली माल्की— क्रम सं. २,१, गओथान, ८१,८०,७६,७८,७०,७०

ग्राम चिनचावन माल्की— क्रम सं. 47पीटी 38पीटी,

ग्राम किसीवली माल्की— क्रम सं. 233,236,333

पूर्व :-

देवलोली ग्राम की सीमा

ग्राम पोसारी माल्की— क्रम सं. 51पीटी, वदी

2754 55715-3

ग्राम तोरादी माल्की— क्रम सं. 25,23,22,28,29

ग्राम अकूलवादी माल्की— क्रम सं 58,60,54,53,52,51,73पीटी, 46,

दक्षिण :-

ग्राम अप्टे माल्की— क्रम सं. 98,104,105,89, पातालगंगा नदी, माल्की— क्रम सं 93,94,118, लेक,माल्की— क्रम सं. 54,57,58,63,

ग्राम कोराल माल्की— क्रम सं. 24पीटी,15,14,5,4,3,

ग्राम करनाला माल्की— क्रम सं. 68,09,04,05,48,49,50,107,108,167,118,127,120,121,166,154,163,162

ग्राम कल्हे माल्की— क्रम सं. 17,18,56,57,58,60,61,104,107,110,120,124,146,147,151,153,154,155,157,158,159,166,167,168,

पश्चिम :--

ग्राम रनसाई माल्की— क्रम सं. 43,42,37,30,26,25,24,23,15पीटी,53पीटी ग्राम पोई माल्की— क्रम सं. 2,14,53,52,43,40,41 ग्राम देगहोदी माल्की— क्रम सं. 86,83,84,85,80,73,72,71,58 ग्राम वैश्वी माल्की— क्रम सं. 57,56,55,54,52,35,41,29,30 खण्डेवहल ग्राम की सीमा


उपाबंध ॥

प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची निर्देशांक के साथ ग्राम की सूची, जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (करनाला पक्षी अभ्यारण)भी है

	T					
क्रम सं.	तालूका/रंगे	ग्राम	अक्षांश	देशांतर रेखांश	विन्हित दिशा निर्देश	
1	उरन	रनसाई	18°53'43.3"	73° 05'19.1"	जेड.पी स्कूल, रनसाई	
_ 2		वैश्वी	18°55'07.0''	73° 03"19.8"	जेड.पी स्कूल, वैश्वी	
3		देगहोदी	18°54'26.6"	73° 02''700''	बस स्टॉप, देगहोदी	
4		पोई	18°54'13.7''	73° 03"46.1"	एम.आई.डी.सी वाटर टैंक	
5	पनवेल	काल्हे	18°52'34.2"	73° 05"46.1"	जेड.पी स्कूल, काल्हे	
6		करनाला	18°51'18.8''	73° 05"5.68"	हनुमान मंदिर के निकट	
7		कोरल	18°51'54.5"	73° 06"40.5"	सखाराम कालू वाघे के घर के निकट	
8	-	शिरधोन (किसीवली)	18°55'6.9''	73° 06"24.0"	बलीराम गेटू कटकरी के घर के निकट	
9		चिनचावन	18°55'39.9''	73° 07"37.8"	दत्तू कतोड पाटिल के घर के पास	
10		अकूलवादी	18°52'73.6"	73° 08"8.37"	गेविंद रामगुन्डे के घर के निकट	
11		पोसारी	18°53'9.34"	73° 08"8.37"	जेड.पी स्कूल, पोसारी	
12		तोरादी	18°53'30.0"	73° 09"20.2"	किराना दुकान के निकट	
13		अप्टे	18°53'32.8"	73° 07''8.28''	पुल पर महादेव मंदिर के निकट	
14		ननोशी	18°56'21.8"	73° 04"6.72"	चौक में आम के पेड़ के निकट	
15		पटनोली	18°57'00.0"	73° 04"8.29"	सरपंच के घर के निकट	
16		मोसारे	18°57'25.5"	73° 04"6.89"	दत्ता मंदिर के निकट	
17		मनघर	18°57'6.63"	73° 04"4.12"	राम हनुमान मंदिर के निकट	
18		संगोली	18°55'59.00''	73° 07''0.00''	गांव के मध्य बिंदु पर	

उपाबंध ॥

समन्वय के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-III जारी

करनाला पक्षी अभयारण्य की सीमा पर प्रमुख बिन्दुओं का समन्वय

बिंदु	देशांतर रेखांश	अक्षांश
क	73°05'02"	18°53'20"
ख	73°06'01"	18°53'58"
ग.	73°06'02"	18°54'00"
घ	73°07'59"	18°54'01"
ङ	73°08'01"	18°51'58"
च	73°07'30"	18°51'40"
छ	73°06'30"	18°51'20"
স	73°06'20"	18°53'59"
झ	73°06'25"	18°52'40"
স	73°05'59"	18°53'40"
ट	73°06'58"	18°53'00"

पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख बिन्दुओं का समन्वय

बिंदु	देशांतर रेखांश	अक्षांश	ग्राम
1	18°56'30"	73°02'30"	मनगर
2	18°57'30"	73°04'00"	मोसरे
3	18°56'00"	73°05'00"	ननोशी
4	18°56'01"	73°07'05"	संगोली
5	18°54'30"	73°08'25"	शिरधोने •
6	18°53'35"	73°09'00"	तोरादी
7	18°51'20	73°08'00"	. अप्टे
8	18°51'01"	73°05'59"	करनाला
9	18°53'20"	73°05'01"	रनसल
10	18°54'30"	73°05'35"	रनसल
11	18°55'01"	73°04'15"	पोई
12	18°54'01"	73°04'00"	पोई
13	18°54'50"	73°03'59"	पोई
14	18°55'01"	73°03'00"	दिघोदे
15	18°56'30"	73°04'01"	मनगर

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख।
- 2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
- 3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान भी है।
- भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश।
- 6. ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा ।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2015

S.O. 1658(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Karnala Birds Sanctuary is situated between 73° 5' to 73°9' E Longitudes and 18°51'30" to 18°54' N Latitudes in Raigad district of Maharashtra State and extends over an area of 12.10 square kilometers;

AND WHEREAS, the sanctuary harbors rich variety of woodland birds including rare bird species and has about 147 resident bird species and 37 migrant bird species including Ashy minivet and Heart spotted woodpecker;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Karnala Wildlife Sanctuary as 2754 52715-4

Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of subsection (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from zero to 8 kilometers from the boundary of Karnala Wildlife Sanctuary in the State of Maharashtra as the Karnala Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- 1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 30.57 square kilometre with an extent varying from 0 metres to 8 kilometres from the boundary of Karnala Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in Annexure I.
- (2) The Eco-sensitive Zone is spread across 18 villages in Uran and Panvel Talukas of Raigad District in Mahashtra.
- (3) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**
- (4) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as Annexure III.
- 2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
- (2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.
- (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
- (i) Environment,
- (ii) Forest,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture
- (viii) Maharashtra State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation
- (x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and

moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- 3. Measures to be taken by State Government.-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) Land use.- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads,
- (iii) Small scale industries not causing pollution,
- (iv) Rainwater harvesting, and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) Natural Springs.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Maharashtra in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Maharashtra.

- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Karnala Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) Air pollution.- The Environment Department of the State Government or Maharashtra State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.
- (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;
- (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
- (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
- (iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

- (10) **Bio-medical waste.** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- (11) Vehicular traffic. The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) Industrial Units

- (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.
- (b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Ecosensitive zone shall be permitted.
- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited A		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	 (a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of bona fide local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Ecosensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

2754 55715-5

-	(2.0)		
	9.	New wood based industry.	Establishment of new wood based industry shall not be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone:
			Provided the existing wood-based industry may continue as per law
R	Regulated A	ctivities	
-	10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted
		and resorts.	within one kilometer of the boundary of the Protected Area
			except for accommodation for temporary occupation of
		-	tourists related to Eco-friendly tourism activities.
	100		However, beyond one kilometer and upto the extent of the
			Eco-sensitive Zone all new tourism activities or
			expansions of existing activities would in conformity and
			Tourism Master Plan and National Tiger Conservation
	11.	Construction activities	Authority guidelines.
		Construction activities	(a) No new commercial construction of any kind shall be
		1	permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area:
			Provided that, local people shall be permitted to undertake
			construction in their land for their residential use including
			the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3.
		9.	(b) the construction activity related to small scale
			industries not causing pollution shall be regulated and kept
-			at the minimum, with the prior permission from the
			Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any.
		8 .	(c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive
		(r	Zone construction for bona fide local needs shall be
			permitted and other commercial construction activities
			shall be regulated as per Zonal Master Plan.
			(d) construction activity in the ESZ shall be as per Zonal
-	12.	Felling of trees.	Master Plan.
	12.	Tenning of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior
			permission of the Competent Authority in the State
			Government;
			(b) the felling of trees shall be regulated in accordance
			with the provisions of the concerned Central or State Act
	5		and the rules made thereunder.
			(c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the
	13.	Commercial water resources including	Working Plan prescriptions shall be followed. (a) The extraction of surface water and ground water shall
		ground water harvesting.	be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and
		,	domestic consumption of the occupier of the land;
			(b) extraction of surface water and ground water for
			industrial or commercial use including the amount that can
		a a a	be extracted, shall require prior written permission from
200			the concerned Regulatory Authority;
		# P	(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted;
		-	(d) steps shall be taken to prevent contamination or
			pollution of water from any source including agriculture.
	14.	Erection of electrical cables and	(i) laying of transmission lines and distribution lines
		telecommunication towers.	above 33 Kv.
			(ii) Promote underground cabling
			-
		-	

15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.		
16.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.		
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.		
18.	Introduction of exotic species.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws		
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.		
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.		
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.		
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agrobased industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.		
23.	Collection of Forest produce or Non- Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.		
24	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.		
25	Use of polythene bags by shopkeepers	Regulated under applicable laws.		
26	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated under applicable laws.		
Permitted Acti	ivities			
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.		
28.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.		
29.	Organic farming.	Shall be actively promoted.		
30.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.		
	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.		
32.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted		

5. Monitoring Committee:- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:—

(a)	The Collector of Raigad District	—Chairman
(b)	A representative of Zilla Parishad, Raigad	Member
(c)	A representative of Department of Revenue, Government of Maharashtra	Member
(d)	One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case	Member
(e)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of one year in each case	Member
(f)	The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board, Mumbai	—Member
(g)	The Senior Town Planner of Raigad	Member
(h)	The Deputy Conservator of Forest - Alibag Division	-Member Secretary

Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at Annexure IV.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
- 6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

Annexure I

Description of Boundaries of proposed ESZ

North:-

Village Manghar Malki - S.No 25

Villlage Mosare Malki - S, No 90.86.79.92.87.75.73,72, & 71

Village Patnoli Malki - S, No 5,4,3,15,11,10, 25,

Village Nanoshi malki - S. No. 6, 95, 93, 88, 87, 84, 73, 81, 78, 75, 62, 67, 64, 48, 69, 41, 40, 38, 37, 44, 45, 46, Nala, malki

S. No. 17, 22, 21, 23, 26, 24, & 8

Village boundary of Chirvate

Village Sangurli malki - S. No 2, 1, Gaothan, 81, 80, 76, 78, 77, 69, 70 Village Chinchvan Malki - S. No. 47pt, 38pt,

Village kishivali malki - S. No. 233, 236, 333

East:-

Village Boundary of Deololi

Village posary Malki - S, No. 51pt, wadi Village Turade Malki - S. No. 25, 23, 22, 28, 29

Village Akulwadi Malk -i S. No. 58, 60, 54, 53, 52, 51, 73pt, 46

South:-

Village Apte Malki - S. No. 98, 104, 105, 89, Patalganga River, malki - S. No. 93.94, 118, Lake, malki - S. No 54, 57, 58, 63

Village koral malki - S. No. 24pt, 15, 14, 5, 4, 3

Village Karnala Malki - S. No 68, 09, 04, 05, 48, 49, 50, 107, 108, 167, 118, 127, 120, 121, 166, 154, 163, 162

Village kalhe malki - S. No. 17, 18, 56, 57, 58, 60, 61, 104, 107, 110, 120, 124, 146, 147, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 166,

167, 168, 169, 170, 172, 173

West:-

Village Ransai malki -S. No. 43, 42, 37, 30, 26, 25, 24, 23, 15pt, 53pt

Village poi malki -S. No 2, 14, 53, 52, 43, 40, 41

Village Deghode malki -S. No 86, 83, 84, 85, 80, 73, 72, 71, 58

Village weshvi malki -S. No 57, 56, 55, 54, 52, 35, 41, 29, 30

Village Boundary Kundewhal

Annexure II

List of Villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone


List of Village with co-ordinate include in Eco-Sensitive Zone (Karnala bird Sanctury)

Sr. No.	Taluka/Range	village	Latitude	Longitude	Location Land Mark
11	uran	Ransai	18°53'43.3"	73° 05'19.1"	Z.P School Ransai
2		Veshvi	18°55'07.0"	73° 03"19.8"	Z.p Schoole Veshvi
3		Dighode	18°54'26.6"	73° 02"700"	Bus Stop Dighode
4		. Poi	18°54'13.7"	73° 03"46.1"	MIDC water Tank
5	Panvel	Kalhe	18°52'34.2"	73° 05"46.1"	Z.P schoole Kalhe
6		Karnala	18°51'18.8"	73° 05"5.68"	Near Hanuman Mandeer
7		Koral	18°51'54.5"	73° 06"40.5"	Near Sakharam Kalu Waghe House
8		Shirdhon (Kishiwali)	18°55'6.9"	73° 06"24.0"	Near Baliram Getu Katkari House
9		Chinchwan	18°55'39.9"	73° 07"37.8"	Near Dattu Katod Patil House
10	-	Akulwadi	18°52'73.6"	73° 08"8.37"	Near Govind Ramgunde House
11		Posari	18°53'9.34"	73° 08"8.37"	Z.P. schoole Posari
12		Turade	18°53'30.0"	73° 09"20.2"	Near Kirana Shop
13		Apate	18°53'32.8"	73° 07"8.28"	Near Mahadeo Mandeer on Bridge
14		Nanoshi	18°56'21.8"	73° 04"6.72"	Near Mango Tree At Chook
15		Patnoli	18°57'00.0"	73° 04"8.29"	Near sarpanch House
16		Mosare	18°57'25.5"	73° 04"6.89"	Near Datta Mandeer
17		Manghar	18°57'6.63"	73° 04"4.12"	Near Ram Hanuman Mandeer
18		Sangurli	18°55'59.00"	73° 07"0.00"	Midale Point of village

2754 757 15-6

Annexure III

Map of proposed Eco-sensitive Zone along with coordinates



Annexure -III Contd..

Co-ordinates of prominent points on Karnala Bird Sanctuary boundary

Point	Logitude	Latitude
A	73°05'02"	
В	73°06'01"	18°53'20"
С		18°53'58"
***************************************	73°06'02"	18°54'00"
D	73°07'59"	18°54'01"
Е	73°08'01"	18°51'58"
F	73°07'30"	
G		18°51'40"
-	73°06'30"	18°51'20"
	73°06'20"	18°53'59"
	73°06'25"	18°52'40"
	73°05'59"	Name and the second sec
	73°06'58"	18°53'40"
	73 00 38"	18°53'00"

Co-ordinates of prominent points on Eco-Sensitive Zone Boundary

Sr.No.	Logitude	Latitude	Village
1	18°56'30"	73°02'30"	Mangar
2	18°57'30"	73°04'00"	Mosare
3	18°56'00"	73°05'00"	Nanoshi
4	18°56'01"	73°07'05"	
5	18°54'30"	73°08'25"	Sangurli
6	18°53'35"	73°09'00"	Shirdhone
7	18°51'20"	100 C	Turade
8	18°51'01"	73°08'00"	Apte
9		73°05'59"	Karnala
10	18°53'20"	73°05'01"	Ransal
in the second se	18°54'30"	73°05'35"	Ransal
11	18°55'01"	73°04'15"	Poi
12	18°54'01"	73°04'00"	Poi
13	18°54'50"	73°03'59"	Poi
4	18°55'01"	73°03'00"	Dighode
5	18°56'30"	73°04'01"	Mangar

Annexure IV

Pro forma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of Meetings.
- 2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. Details may be attached as Annexure.
- 5. Summary of cases scrutinized for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 6. Summary of case scrutinized for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
- 7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.